भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2865

12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत भूमिहीन शहरी गरीबों पर प्रभाव

2865. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार दवारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं, ताकि मौजूदा भूमि या पूंजी तक पहुँच वाले लाभार्थियों के बजाय सबसे कमजोर स्थिति वाले भूमिहीन शहरी गरीबों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके; और

(ख) विशेषकर बिहार, पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों में सरकार दवारा योजनांतर्गत कार्य पूर्णता दर में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं जहां कार्य की प्रगति 50 प्रतिशत से कम है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): "भूमि" और "कॉलोनीकरण" राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, जिसमें भूमिहीन शहरी गरीबों को घर बनाने के लिए भूमि प्रदान करना शामिल है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देशभर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

इस योजना ने भूमिहीन शहरी गरीबों और स्लम निवासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/कम आय समूह (एलआईजी) और मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लाभार्थियों को आवश्यकता और पात्रता मानदंडों के अनुसार किसी भी घटक के तहत लाभ प्राप्त करने की छूट प्रदान की। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्थानीय विनियमों और लागू नीतियों के अनुसार भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि पट्टा/अधिकार प्रदान करते हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 02.12.2024 तक, मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख आवासों को स्वीकृति दे दी गई है, जिनमें से देशभर में 114.23 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और 88.32 लाख आवासों को पूरा किया गया है/लाभार्थियों को सौंप दिया गया है।

योजना के सीएलएसएस घटक को छोड़कर, इस योजना को 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि सभी स्वीकृत आवासों को वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना पूरा किया जा सके। मंत्रालय आवासों को पूरा करने में पिछड़ रहे राज्यों के साथ नियमित समीक्षा करता है, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवासों को पूरा किया जा सके।

*****